[illegible] पेश हुई उभयपक्ष उप-प्रकरण
में [illegible] स-4 जवाब प्रा-पत्र पेश करने का
अवसर चाहा है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली
वास्ते जवाब प्रा-पत्र मे दि 20-4-22 को पेश हो।

-4-22 पत्रावली आज पेश हुई [illegible] द्वारा S.D.O. सा. अन्य कार्य में
[illegible] व्यस्त है।
[illegible] दिन. 8-6-22 को
पेश की जावे

-6-22 पत्रावली आज पंचायत कैम्प बैंगू मे पेश हुई
प्रा-पत्र अ-धा-136 LRA मे प्रार्थी ने अपने प्रा-पत्र
मे निवेदन किया है कि मौजा चूलखेड़ा प-ह-बैंगू
मे खाता स- 201 आ-स- 804/589 कुल रकबा 2.1000 है।
भूमि स्थित है। यह कि उक्त कृषि आराजीयात के
खाते मे प्रार्थी का नाम हरिश चन्द्र पिता बालूलाल
ब्राह्मण दर्ज है। उक्त नाम प्रार्थी राजस्व खाते मे सही
करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज पंचायत
समिति बैंगू द्वारा जारी परिवार का राशन कार्ड आधार
कार्ड एवं 12th क्लास की अंक तालिका आदि प्रस्तुत
किये है। जिसमे प्रार्थी का नाम हरि प्रसाद पिता बालूलाल
अंकित है। एवं प्रकरण मे विपक्षी स- 1, 2, 3 ने अपने जवाब
प्रा-पत्र मे स्वीकार किया है कि प्रार्थी का नाम लिपिकीय
त्रुटि से हरिश चन्द्र दर्ज हो गया था।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
जो शुद्ध कर हरिश चन्द्र के बजाय हरि प्रसाद नाम राजस्व रिकार्ड मे किया जाता है। तो हम विपक्षी स-1.2. 3 को कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। एंव विपक्षी स: 4 का प्रकरण मे जवाब प्रा-पत्र पेश नही करने से विपक्षी स-4 का जवाब प्रा-पत्र बन्द किया जाता है। हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज पंचायत समिति बेगू द्वारा जारी राशन कार्ड. आधार कार्ड. 12th क्लास की अंक तालिका आदि का अवलोकन किया कि प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पिता बालू लाल ब्राह्मण है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित नाम की शुद्धि किया जाना हम उचित समझते है। अत: प्रा-पत्र अ-धा-136 L.R.A का स्वीकार किया जाता है। मौजा धूलखेड़ा प-ह-बेगू मे खाता स-201 आ-स-804/589 रकबा 2.1000 है- मे अंकित हरिश चन्द्र पिता बालू लाल चतुर्वेदी के बजाय हरिप्रसाद पिता बालूलाल चतुर्वेदी नि. पाछुन्द्र/ राजस्व रेकार्ड मे अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश कि प्रति तहसील दार बेगू को पालनार्थ दी जावे। आदेश आज दिनाक 8-06-2022 को खोलो अय कैम्प बेगू मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	